बैंकिंग प्रणाली में दबाव समाप्त करने का संकल्प*

रघुराम जी. राजन

मुझे भाषण देने के लिए आमंत्रित करने हेतु धन्यवाद। बेंगलुरु जैसे शहर में हम स्टार्टअप की बात करते हैं। लेकिन आज यहां मैं वित्तीय दबाव के समाधान के बारे में बात करूंगा। मेरा यह मानना है कि ऋण दिए जाने में धीमापन काफी हद तक बैंकिंग क्षेत्र में दबाव आ जाने के कारण है न कि ऊंची ब्याज दरों के कारण है। इसलिए, ऐसी स्थिति में जरूरत इस बात की है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों के तुलनपत्रों की स्थिति साफ-सुथरी बनाई जाए, और यह कार्य किया जा रहा है और आवश्यकता है कि इस कार्य को उसी उद्देश्य के अनुसार अंजाम तक पहुंचाया जाए। मैं यह बताना चाहूंगा कि हम भारत में यह करते रहे हैं कि ऋण संविदा से जुड़ी संस्कृति में परिवर्तन लाना चाहते हैं। सबसे पहले हम नये निजी बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों में वृद्धि की तुलना सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों में हुई वृद्धि से करेंगे।

सरकारी क्षेत्र उधार बनाम निजी क्षेत्र उधार

जैसा कि चार्ट 1 (भारत में ऋण) से पता चलता है कि वर्ष 2014 के शुरू से ही नये निजी क्षेत्र के बैंकों (एक्सिस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और इंडस्इंड) की तुलना में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के गैर-खाद्य ऋण में वृद्धि कम होती जा रही है। यह स्थिति न केवल उद्योग (चार्ट 2) को दिए गए ऋणों में दिखाई देती है बल्कि सूक्ष्म और लघु उद्यमों को दिए गए ऋणों (चार्ट 3)[1] में भी परिलक्षित होती है।[2]अलबत्ता ऋण की वृद्धि में अपेक्षाकृत धीमापन इतना ड्रामाई नहीं है, लेकिन कृषि क्षेत्र में भी दिखाई देता है (चार्ट 4), हालांकि वृद्धि में तेजी आना दुबारा शुरू हो गई है। जब भी किसी को उधार देने की दर में धीमापन दिखाई देता है, तो वह इस नतीजे पर पहुंच सकता है कि ऋण केलिए मांग नहीं है - फर्में निवेश नहीं कर रही हैं। लेकिन हम यहा यह देख रहे हैं कि निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिए गए उधार की तुलना में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिए गए उधार कम हैं। ऐसा क्यों है?

कोई भी व्यक्ति इससे तुरंत यह नतीजा निकालेगा कि ऋण की सप्लाई खासतौर से सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्रभावित की गई है, शायद ऐसा इसलिए है कि बैंकों के पास पूंजी कम है। इस पर भी यदि

चार्ट 1: खाद्येतर ऋण वृद्धि

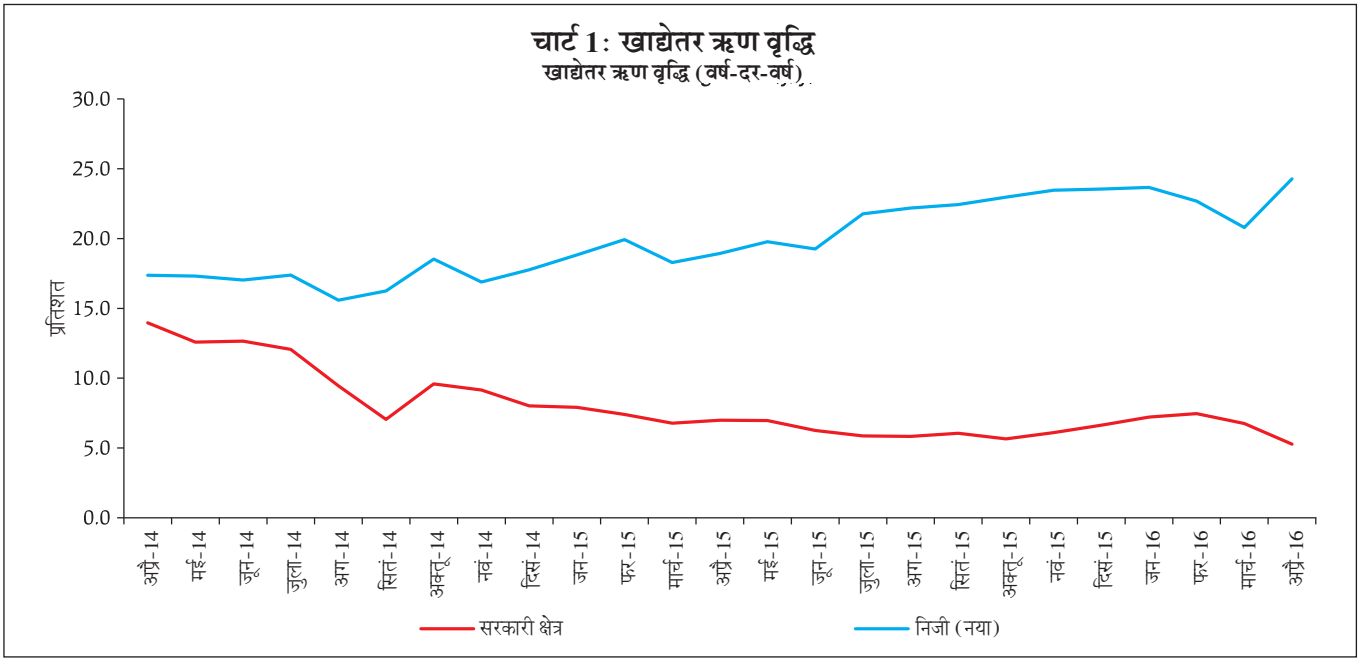

* डॉ.रघुराम राजन, गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एसोकैम- में 22 जून, 2016 को बेंगलुरु में आयोजित संवादात्मक सभा में दिया गया भाषण।

[1] चार्ट 2 में अप्रैल की ऋणात्मक वृद्धि संख्या असामान्य इसलिए लग सकती है कि उदय बांड को बैंक ऋण बहियों से अंतरित करके निवेश में दिखाया गया है।

चार्ट 2: उद्योग की ऋण

ऋण वृद्धि - उद्योग (वर्ष-दर-वर्ष)

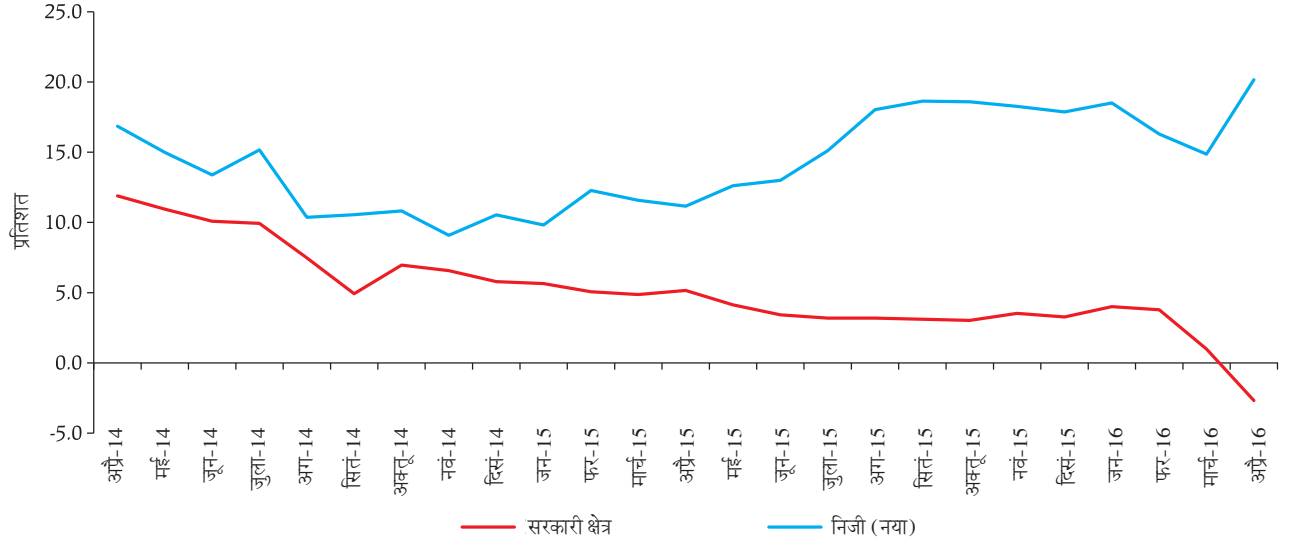

हम व्यक्तिगत ऋण की वृद्धि (चार्ट 5) पर नज़र डालें, विशेष रूप से आवासीय ऋण (चार्ट 6) पर तो पाते हैं कि सरकारी क्षेत्र के बैंक की ऋण वृद्धि का स्तर निजी क्षेत्र के बैंकों के ऋण स्तर के बराबर पहुंच चुकी है। इसलिए पूंजी के अभाव को हम दोषी नहीं ठहरा सकते। बल्कि कारण यह है कि सभी स्तरों पर सरकारी क्षेत्र के बैंकों के ऋणों में कमी हुई है, कुछेक उच्च एक्सपोजर वाले क्षेत्रों में भी गिरावट आई है, विशेष रूप से उद्योग को तथा लघु उद्यमों को दिएए गए ऋणों में। इसलिए इसका उचित निष्कर्ष यह होगा कि सरकारी क्षेत्र के बैंक 2014 के प्रारंभ से ही अपने एक्सपोजर को बुनियादी सुविधाओं में तथा उद्योग के जोखिम में कम करते रहे हैं क्योंकि उनके द्वारा दिए गए पिछले ऋणों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। निजी क्षेत्र के अधिकांश बैंकों का इस प्रकार का पिछला एक्सपोजर नहीं है, इसलिए वे अपने परंपरागत उधारकर्ताओं एवं सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा मना कर दिए गए कारपोरेट्स दोनों को उनकी बढ़ती मांग के अनुसार सेवा देने के

चार्ट 3: सूक्ष्म और लघु उद्यमों को ऋण

ऋण वृद्धि - सूक्ष्म और लघु उद्यम

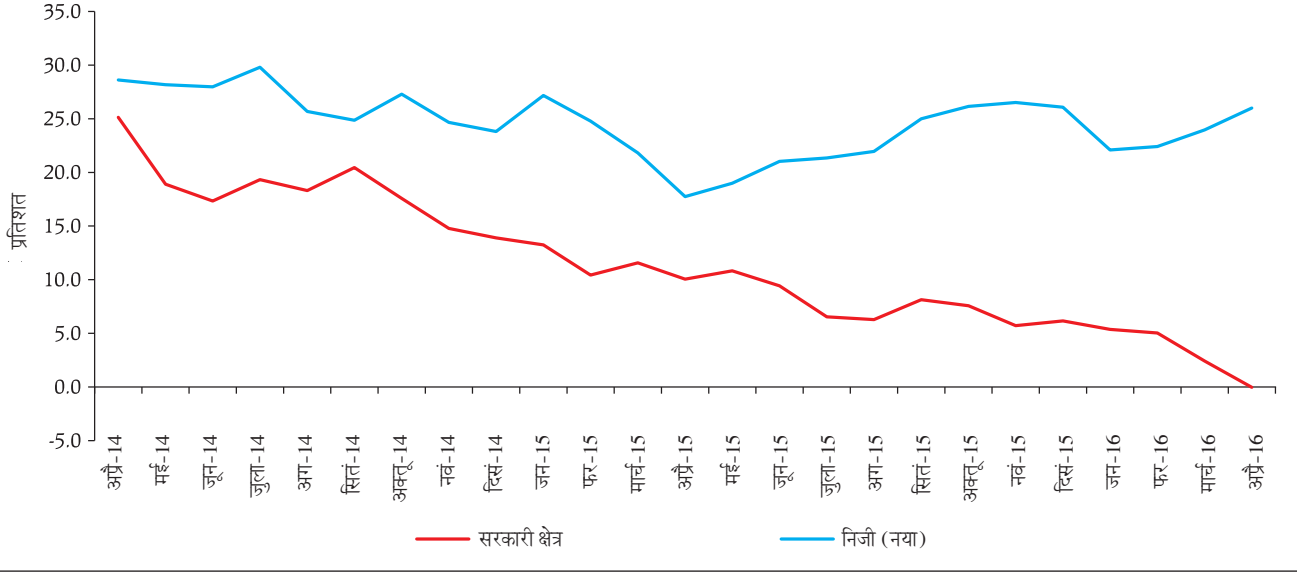

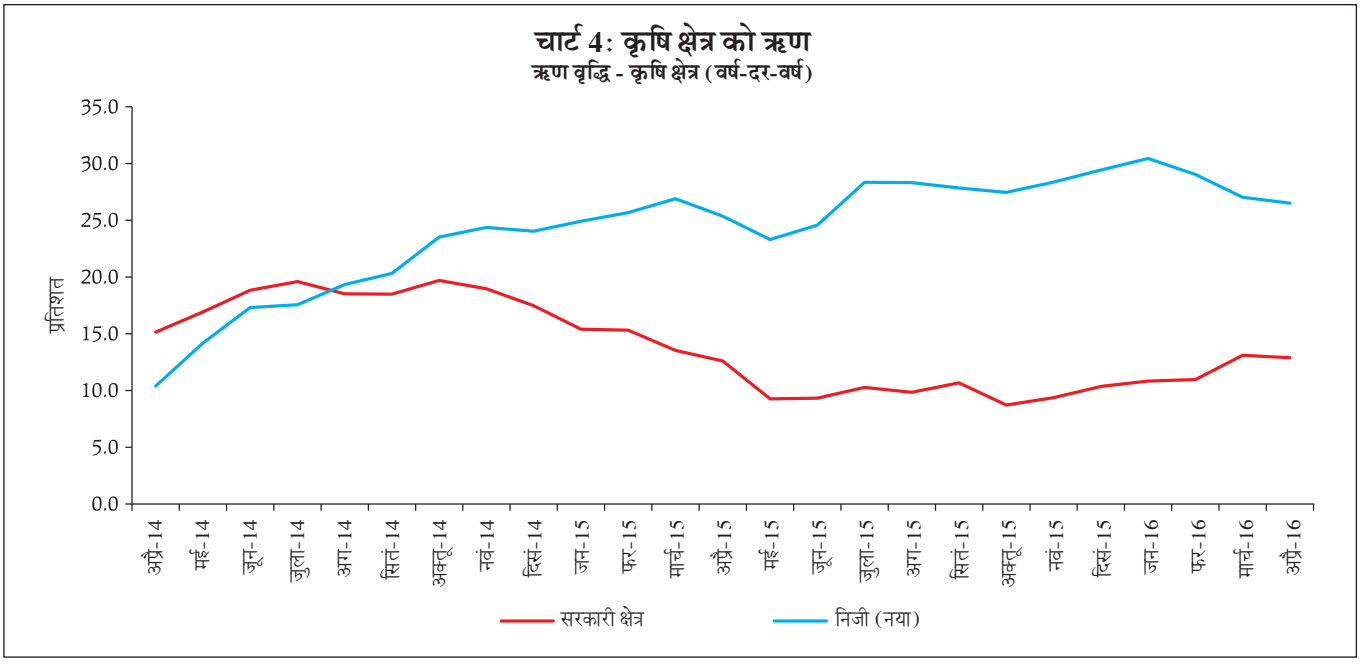

लिए अधिक इच्छुक रहे हैं। लेकिन यह मानते हुए कि सरकारी क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक की तुलना में बहुत बड़े हैं, इसलिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों के ऋणों में आई मंदी को निजी क्षेत्र के बैंक पूरा नहीं कर सकते। हमें ज़रूरत है कि सरकारी क्षेत्र के बैंक पुनः उद्योग एवं बुनियादी सुविधा क्षेत्र को उधार देने की स्थिति में आएं, अन्यथा ज्यों ही अर्थव्यवस्था में तेजी आना शुरू होगी वैसे ही ऋण और वृद्धि की स्थिति खराब होने लगेगी।

जो लोग साक्ष्यों को नहीं देखते हैं वे इन चार्टों को देखकर एक अन्य तर्क दे सकते हैं कि - कारपोरेट संसार में दबाव ऊंची ब्याज दर के कारण है। निजी क्षेत्र के बैंक जो ब्याज दर निर्धारित करते हैं वे सामान्यतया सरकारी क्षेत्र के बैंक के बराबर या उससे ऊंची होती हैं। फिर भी उनकी ऋण में वृद्धि कम नहीं होती है। इसलिए तार्किक नतीजा यह है कि ब्याज दर का स्तर इस समस्या का मूल नहीं है। बल्कि दबाव इसलिए है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों के तुलनपत्रों में ऋण पहले

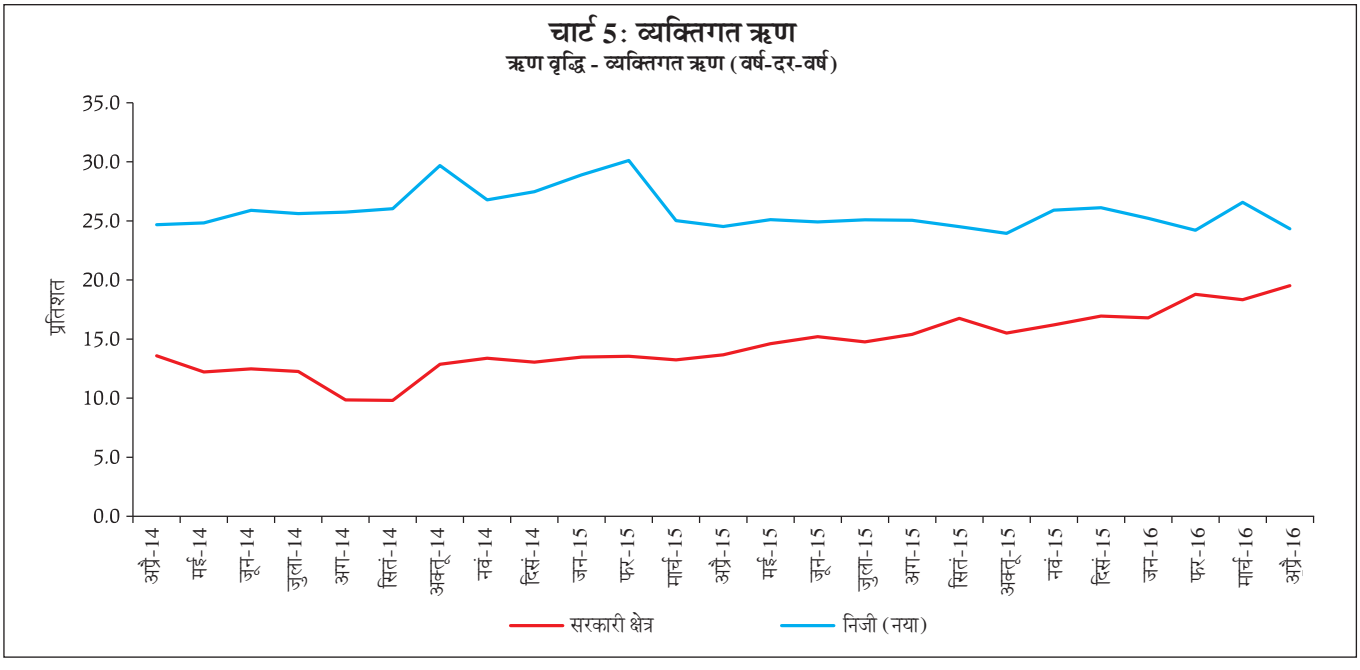

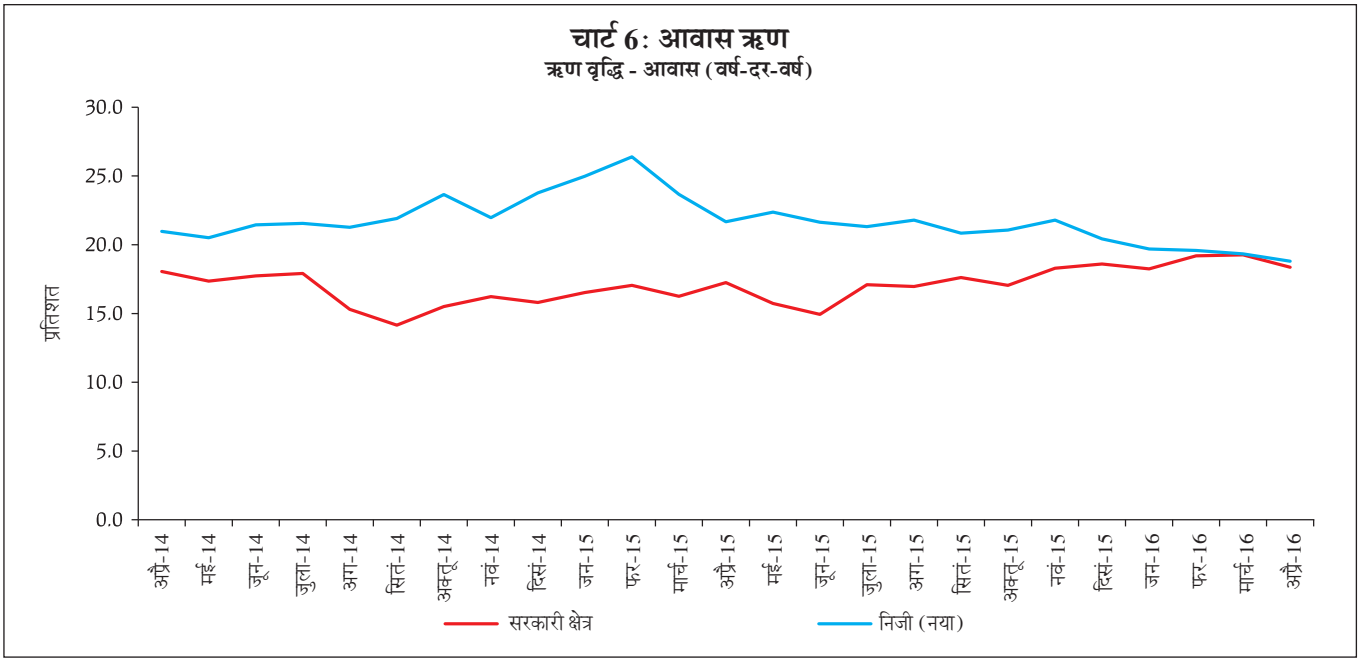

से मौजूद हैं, और उनकी उन क्षेत्रों को उधार देने की इच्छा जिनमें उनका एक्सपोजर बहुत अधिक है।

दबावग्रस्त ऋण के दो स्रोत हैं - उधारकर्ता के मौलिक सिद्धांत सही नहीं रहे हैं, और उधारदाता की ऋण वापस लेने की योग्यता कमज़ोर है। इस समय मौजूदा दबाव में दोनों काम कर रहे हैं।

उधार देने के दबाव के स्रोत - खराब मूलभूत सिद्धांत

ऋण अशोध्य क्यों हो गए? अनेक ऋण 2007-2008 में दिए गए थे। आर्थिक विकास मज़बूत था और संभावनाएं अनंत थीं। सरकारी क्षेत्र के बैंकों में जमारशियों की तीव्र वृद्धि हो रही थी, और अनेक प्रकार की बुनियादी सुविधाओं वी परियोजनाएं जैसे बिजली परियोजनाएं समय पर और बजट के भीतर पूरी की गई थीं। यही वह समय था जब बैंकों ने भूल की थी। उन्होंने पिछले विकास को और भविष्य के निष्पादन को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया। इसलिए वे परियोजनाओं में अत्यधिक लीवरेज स्वीकार करने केलिए तैयार थे, और इक्विटी में प्रवर्तक के रूप में कम ही रहना चाहते थे। कई बार तो ऐसा हुआ है कि बैंकों ने प्रवर्तक के निवेश बैंक द्वारा दी गई परियोजना रिपोर्ट के आधार पर उधार देने के लिए हस्ताक्षर किया है और स्वयं की सावधानी नहीं बरती है। एक प्रवर्तक ने मुझे बताया कि उसे किस प्रकार पर्श्यू किया गया और उसके बाद बैंक चेकबुक हवा मं लहरा रहे थे और उनसे पूछ रहे थे कि कितनी रकम चाहिए। यह एक ऐतिहासिक असंगत उल्लास था जो पूरे देश में इस चक्र के चरण में व्याप्त था।

समस्या यह है कि विकास हमेशा उतना नहीं हो पाता है जितना कि उम्मीद की जाती है। वैश्विक वित्तीय संकट के पहले विश्व में मज़बूत विकास के वर्ष गुज़रे थे जबकि उसके बाद मंदी आ गई थी जो भारत तक फैल गई, जिससे यह पता चलता है कि हम विश्व से कितना जुड़ गए हैं। विभिन्न परियोजनाओं के लिए सुदृढ़ मांग अनुमान बढ़ा-चढ़ाकर दिखाए गए जो सही नहीं थे क्योंकि घरेलू मांग धीमी पड़ गई थी। इतना ही नहीं, ढेर सारी गवर्नेंस समस्याएं पैदा हो गई थीं जिसके साथ जांच का भय जुड़ गया था, जिसने दिल्ली में सत्तावदी निर्णय लेने की प्रक्रिया को मंद कर दिया था और बुनियादी सुविधाओं की परियोजनाओं के लिए अनुमति प्राप्त करना मुश्किल हो गया था। परियोजना की लागत बढ़ गई थी जिसका भार रुकी हुई परियोजनाओं पर आ गया और वे कर्ज चुकाने में लगातार असमर्थ होते गए।

मैं यह नहीं कहता कि इसमें कोई अपराध नहीं किया गया था- देश की जांच एजेंसियां कुछेक मामलों की जांच कर रही हैं जिनमें ऋण प्राप्त करने केलिए अनुचित दबाव डाला गया था, अथवा जहां कंपनी से धन निकालकर अन्य स्थान पर भेजा गया था? या तो आयात के इनवाइस में अधिक दिखाकर प्रवर्तक के स्वामित्व की

सहयोगी संस्था के माध्यम से या विदेश में नाम के वास्ते बनी कंपनी को निर्यात के माध्यम से और फिर यह दावा करते हैं कि उन्होंने चूक की है। मैं यह बता रहा हूं कि यह कार्य अपराध करने वालों के अलावा अन्य लोगों द्वारा किया गया, और कई वास्तविक उद्यमी इस कठिनाई में फंसे हुए हैं, उसी तरह वे बैंक भी जिन्होंने यथोचित निर्णय उस समय उन्हें जो जानकारी थी उसी आधार पर लिया था।

उधार देने के दबाव के स्रोत - खराब निगरानी और कम वसूली

सच्चाई यह है कि यहां तक कि सावधानी से दिए गए उधार में भी चूक की संभावना हो सकती है। एक बैंकर जो इस आशय से उधार देता है कि उसे कभी भी चूक की स्थिति का सामना न करना पड़े और शायद इसके लिए वह अधिक दकियानूस हो सकता है और बहुत कम परियोजनाओं को उधार देगा, लेकिन ऐसा करके वह विकास को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन समझदारी से दिए गए उधार का मतलब है कि परियोजना की संभावनाओं का प्रारंभ में ही सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना, जिसके बारे में मैंने कहा था कि अत्यधिक उत्साह में असंगत तरीके से लिए गए निर्णय से मामला खराब हो जाता है या अन्य लोगों के द्वारा किए गए मूल्यांकन पर अत्यधिक निर्भरता बना लेने पर। यदि मूल्यांकन में कमी रहती है तो उसकी क्षतिपूर्ति उधार देने के बाद की निगरानी में की जा सकती है, जिसेमं सावधानीपूर्वक प्रलेखीकरण एवं पक्की संपार्श्विक व्यवस्था तथा आस्ति के समर्थन में प्रवर्तक की गारंटी हो जिसे पंजीकृत किया गया हो और उसका ध्यान रखा गया हो। दुर्भाग्य से अनेक परियोजनाएं कमज़ोर निगरानी के कारण छोड़ दी गईं, यहां तक कि उनकी लागत भी बढ़ गई। बैंकों ने उम्मीद की होगी अग्रणी बैंक पर्याप्त सावधानी बरतेगा लेकिन ऐसा हमेशा नहीं हो पाता है। इतना ही नहीं, जैसे ही कोई परियोजना दबावग्रस्त हो जाती है, निजी बैंक अपनी स्थिति को लेकर अधिक सतर्क हो जाते हैं और प्रवर्तक से अधिक संपार्श्विक ले लेते हैं, या फिर उसकी चुकौती करवाते हैं, जबकि सरकारी क्षेत्र के बैंक उस परियोजना को नए ऋण देकर सहायता करना जारी रखते हैं। प्रवर्तक समझदारी से काम लेते हुए इक्विटी लगाना बंद कर देते हैं, और कई बार तो प्रयास करना छोड़ देते हैं, यह जानते हुए कि कर्ज का जो बोझ बना हुआ है उसकी चुकौती परियोजना से ही करना पड़ेगा।

सरफेसी क़ानून जिसके तहत ज़मानती ऋण की वसूली तेजी से की जानी होती है, उसके होते हुए भी कर्ज की वसूली की प्रक्रिया लंबी और महंगी हो जाती है, खासतौर से तब जब बैंकों को बड़े तथा अच्छे रसूख वाले प्रवर्तकों से पाला पड़ता है। सरकार ने न्यायिक प्रक्रिया में सुधार लाने का प्रस्ताव किया है, साथ ही ऋण वसूली न्यायाधिकरणों की कार्यप्रणाली में भी तेजी लाने का जो बैंकों के लिए वसूली को आसान बनाएंगे लेकिन वे विधायी सुधार संसद के समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं। यह जानते हुए कि बैंक के लिए वसूली करना मुश्किल होगा, फिर भी कुछ प्रवर्तक परियोजना के पैमान को बढ़ाते हुए उन्हें दुगुना ऋण देने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, भले ही प्रारंभिक पैमाने से कर्ज की चुकौती नहीं हो पा रही है। निश्चित है प्रवर्तकों में से जो शातिर किस्म के हैं वे और विस्तारित उधार से धन को दूसरी ओर ले जा रहे हैं और बैंक के तुलनपत्र के आकार की समस्या को बढ़ाते जा रहे हैं।

ऋण की वसूली के लिए अपर्याप्त प्रणाली प्रवर्तकों को उधारदाताओं पर कहीं अधिक शक्ति प्रदान कर देती है। न केवल वे एक उधारदाता से दूसरे उधारदाता को लड़ा देते हैं और यह कहते हैं कि वे एक बैंक का धन दूसरे बेंक की ओर कर देंगे, वे भुगतान करने से भी मना कर देते हैं यदि उधारदाता और अधिक धन उन्हें नहीं देता है, खासतौर से तब जब उधारदाता यह समझने लगता है कि ऋण अनर्जक बनता जा रहा है। कभी-कभी प्रवर्तक बड़ी कंजूसी से एकबारगी निपटान का प्रस्ताव देते हैं यह जानते हुए कि सिस्टम यह सुनिश्चित करेगा कि कई वर्षों बाद भी बैंक ज़मानती ऋण की वसूली तो कर ही लेगा। प्रभावी रूप से, इस प्रकार की प्रणाली में ऋण अंतर्निहित इक्विटी बन जाता है, जिसमें कठोर प्रकार के प्रवर्तक अच्छे समय में मज़ उडाते हैं, और बैंकों को मजबूर करते हें कि बुरे समय में वह नुकसान को उठाए, भले ही उनकी इक्विटी उनके पास बनी हुई हो।

बैंकों को स्वच्छ बनाना : सिद्धांत

पूरे विश्व में प्रारंभिक दबाव की स्थिति में तीन प्रमुख नियम हैं:

1) *संभाव्यता बकाया कर्ज पर निर्भर नहीं होती है बल्कि आर्थिक मूल्य पर होती है। कर्ज को संभाव्यता के हिसाब से कम किया जाना होता है।*

परिस्थिततियों में बदलाव के कारण मांग कम हो सकती है और परियोजना का नकदी प्रवाह पहले अनुमानित से काफी कम हो सकता है। परियोजना का आर्थिक

मूल्य उसके पूरे हो जाने पर होता है - इस अर्थ में कि परिचालनगत नकदी प्रवाह धनात्मक हैं, लेकिन उसके कर्ज पर होने वाले ब्याज से बहुत कम हों। यदि कर्ज को कम नहीं किया जाता है तो परियोजना निरंतर एनपीए होती जाएगी, भले ही प्रवर्तक को मालूम हो कि वह उसकी चुकौती नहीं कर पाएगा, और अपनी रुचि खो देता है। यदि नज़रअंदाज़ कर दिया गया तो परियोजना से कोई नकदी प्रवाह पैदा होना बंद हो जाएगा और आस्ति का मूल्यह्रास बड़ी तेजी से होने लगेगा।

2) *जो परियोजनाएं संभाव्य हों उन्हें पूरा करें भले ही उनमें अतिरिक्त धन क्यों न लगाना पड़े*

रुकी हुई परियोजनाएं समय बीतने के साथ बहुत बेहतर नहीं हो सकती हैं। यदि परियोजना को पूरा करने केलिए छोटे से निवेश की ज़रूरत है, और प्रवर्तक के पास धन नहीं है, तब भी उस परियोजना को उधार देना समझदारी की बात होगी, भले ही समस्त कर्ज को बट्टे खाते क्यों न डाल दिया जाए। होगा यह कि नया ऋण परिचालनगत नकदी प्रवाह ज़रूर पैदा कर देगा ताकि भले ही कुल बकाया कर्ज की चुकौती न हो सके किंतु कुछ कर्ज की चुकौती अवश्य हो सकेगी।

3) *धन डूब जाने के बाद अच्छा धन न लगाएं, क्योंकि इस बात का झूठा भरोसा होता है कि कर्ज को चुका दिया जाएगा*

यह ऊपर दी गई स्थिति 2 का बिलकुल उलटा है। यदि परियोजना संभाव्य नहीं है तो उसके आकार को दोगुना कर देने से वह संभाव्य नहीं बन जाएगी। ऐसे प्रवर्तक जिन्होंने ज़रूरत से ज्यादा उधार ले लिया है, प्रायः यह प्रस्ताव देते हैं कि परियोजना के पैमाने को बढ़ाएंगे ताकि बैंक का बकाया ऋण एवं नया ऋण दोनों चुकाने योग्य बन जाएं। शायद बैंक के लिए यह बेहतर होगा कि वह प्रारंभिक परियोजना के लिए दिए गए ऋण को बट्टे खाते डाल दे, बजाय इसके वह और इसकी गहराई में उतरे, क्योंकि जैसे ही परियोजना का विस्तार होगा प्रवर्तक को नई-नई लागतें आएंगी। एक अक्षम एवं गैर-भरोसेमंद प्रवर्तक उसकी परियोजना का विस्तार हो जाने के बाद भी वैसा ही बना रहेगा।

बैंक को नैतिक खतरा

दुर्भाग्य से सरकारी क्षेत्र की बैंकिंग प्रणाली में जो प्रोत्साहन बन गया है उसने सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्यपालकों के लिए उन सिद्धांतों का पालन करना और भी मुश्किल कर दिया है (मैं यहां यह भी जोड़ना चाहूंगा कि कुछ निजी क्षेत्र के बैंकों के कार्यपालक भी ऐसे अवसरों के लिए आदी नहीं हैं)। प्रबंधकों का अल्प कार्यकाल होने से वे नुकसान को तुरंत पहचानने के लिए इच्छुक नहीं होते हैं, वे ज्यादातर इस बात के लिए इच्छुक होते हैं कि उसे आगे के लिए स्थगित रखें ताकि उनके स्थान पर नया आने वाला उसे देखेगा। इस प्रकार का विकृत प्रोत्साहन गैर-फायदेमंद परियोजना को अधिक उधार देने पर आमादा करता है या फिर उस परियोजना को ज्सदाबहारट बताता रहेगा। दुर्भाग्य से, एनपीए होने का अपमान उन्हें तुरंत ऐसी परियोजना को उधार देने से रोकता है जो संभाव्य हैं, इस भय से कि जांच एजेंसियां उधार देने के उनके औचित्य को नहीं मानेंगी। इस तरह के नतीजे तब सामने आने की संभावना अधिक होती है जब बैंकों में ऋण के समुचित प्रलेखीकरण, मूल्यांकन तथा निगरानी की सुदृढ़ परंपरा का अभाव होता है। इसलिए खराब परियोजनाओं के लिए अत्यधिक उधार दे देना तथा संभाव्य परियोजनाओं को थोड़ा सा ऋण देना दोनों स्थितियां साथ-साथ चलती रहेंगी।

विनियामक की दुविधा

विनियामक जो यह चाहता है कि बैंकिंग प्रणाली को साफ-सुथरा बना दिया जाए ताकि वह दुबारा उधार देना प्रारंभ कर सके, इस दृष्टिकोण से अनेक प्रकार के उद्देश्य पैदा होते हैं, जो कुछ हद तक परस्पर-विरोधी हो सकते हैं। पहला, हम चाहते हैं कि बैंक दबाग्रस्त ऋणों की पहचान करें और प्रकट करें, न कि गैर-संभाव्य परियोजनाओं को सदाबहार बताते हुए उसपर पेपर डाल दें। ऋण का वर्गीकरण महज एक अच्छी लेखांकन प्रणाली है - इससे पता चलता है कि ऋण का वास्तविक मूल्य क्या होना चाहिए। इसमें प्रावधानीकरण की व्यवस्था होती है, जो यह सुनिश्चित करती है कि बैंक कुछ बफर अलग रखता है ताकि संभावित नुकसान को बैंक द्वारा समो लिया जाए। यदि नुकसान नहीं होता है तो बैंक प्रावधान की गई राशि को लाभ में दिखा सकते हैं। यदि नुकसान हो ही जाता है तो बैंक को अचानक बड़ा नुकसान होने की घोषणा नहीं करनी पड़ेगी, वह इस नुकसान को विवेकपूर्ण तरीके से किए गए प्रावधान से समायोजित कर सकता है। इस प्रकार से बैंक के तुलनपत्र में बैंक के स्वास्थ्य की सही एवं उचित तसवीर दिखाई देगी, जैसाकि बैंक के तुलनपत्र में दिखाई देनी चाहिए।

दूसरी बात यह है कि हम यह चाहते हैं वे परियोजना में नकदी पैदा करने की क्षमता के बारे में वे हकीकत से काम लें, और उस संरचना को उधार देने एवं उसकी चुकौती का परस्पर मिलान करें।

तीसरी बात, हम चाहते हैं कि वे ऐसी परियोजनाओं को उधार देना जारी रखें जिनमें संभाव्यता हो, भले ही पूर्व में उन्हें पुनः संरचित किया गया हो और वे एनपीएए रही हों।

समस्या यह है कि एनपीए हुए ऋण की पुनः रचना करने में किसी प्रकार की ढिलाई यह आसान बना देती है कि उसका सही रूप न बताया जाए और उस ऋण को हमेशा सदबहार बताया जाता है। जबकि दूसरी ओर, एनपीए को प्रकट करने एवं उसके वर्गीकरण से संबंधित यदि नियम सख्त कर दिए जाएं तो जो संभाव्य परियोजनाएं हैं उन्हें भी उधार मिलने पर रोक लग जाएगी। इस प्रणाली में दिए गए प्रोत्साहन एवं भारत में बैंकरप्सी संहिता के अभाव में किसी प्रकार का साफ-सुथरा समाधान नहीं दिया गया है। अतः, भारतीय रिज़र्व बैंक को इस प्रणाली को साफ-सुथरा बनाने नई सुकर प्रक्रिया उपलब्ध कराने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना पड़ा है।

भारतीय रिज़र्व बैंक का दृष्टिकोण

हमारा पहला कार्य यह सुनिश्चित करना था कि सभी बैंकों के पास यह सूचना होनी चाहिए कि उन्होंने किस उधारकर्ता को उधार दिया है। इसलिए हमनेएक बृहत् ऋण डाटाबेस (सीआरआईएलसी) तैयार किया जिसेमं 5 करोड़ से अधिक के समस्त ऋण शामिल हैं, जिसे हम शभी बैंकों के साथ साझा करते हैं। सीआरआईएलसी डाटा में प्रत्येक ऋण की स्थिति मौजूद होती है - जिससे यह पता चलता है कि वह सही तरह से कार्य कर रहा है, पहले एनपीए हो चुका है या एनपीए होने वाला है। इस डाटाबेस से बैंकों को पूर्व चेतावनी संकेत के रूप में यह पता चलता है कि उधारकर्ता की स्थिति दबावपूर्ण हैजैसे कि कुछ समूह के उधारकर्ता देर से चुकौती करने के आदी हैं।

हमारा दूसरा कदम यह था कि जैसे ही पूर्व चेतावनी संकेत मिलें वैसे ही संयुक्त उधारदाता मंच(जेएलएफ) के माध्यम से सभी उधारदाताओं को बता दिया जाए। जेएलएफ को यह कार्य सौंपा गया है कि वह इसका समाधान निकाले, ठीक उसी प्रकार जैसे कि बैंकरप्सी मंच निकालता है। बैंकों को तेजी से निर्णय लेने केलिए प्रोत्साहन भी दिए गए हैं। हमने यह भी प्रयास किया है कि इस मंच को अधिक प्रभावी बनाया जाए जिसमें इस बात की छूट हो कि किसी निर्णय के प्रति हर किसी का सहमत होना जरूरी नहीं है, और संयुक्त निर्णय से जो सहमत नहीं है वह उस निर्णय से हट सकता है।

हम यह भी चाहते हैं कि बैंक उन परियोजनाओं की पुनर्रचना न करें जो फायदेमंद नहीं हैं और जो बैंक नुकसान का निर्धारण नहीं करना चाहते हैं - इसलिए हमने अप्रैल 2015 में बैंकों की इस क्षमता को समाप्त कर दिया कि वे एनपीए कहने के पहले परियोजनाओं की पुनर्रचना करें। वहीं पर अनेक लंबी अवधि वाली परियोजनाओं जैसे सड़क की संरचना की गई जिसमें ज़रूरत से ज्यादा तेजी से चुकौती की जाने की आवश्यकता था, यद्यपि उनमें नकदी का प्रवाह अब से दशकों तक बना रहेगा। अतः हमने ऐसी परियोजनाओं को 5/25 योजना के माध्यम से भुगतान करने के लिए पुनर्रचित करने की अनुमति दे दी बशर्तेकि दीर्घकाल तक उनका भावी नकदी प्रवाह भरोसेमंद तरीके से सुनिश्चित रहे। इस बात की संभावना हो सकती है कि बैंक इस योजना का इस्तेमाल ऋण को सदाबहार बताने के लिए करें, इसलिए हमने इसपर निगरानी रखी है कि इसे किस प्रकार प्रयोग में लाया जा रहा है, और जहां ज़रूरी समझा जाता है इस योजना की जांच करते रहते हैं ताकि यह योजना अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सके।

चूंकि प्रवर्तक प्रायः नई निधि लाने में असमर्थ होते हैं, और चूंकि न्यायिक प्रणाली उन्हीं का बचाव करती है जो इक्विटी के मालिक होते हैं, इसलिए सेबी के साथ मिलकर हमने रणनीतिक कर्ज पुनर्रचना(एसडीआर) योजना प्रारंभ की ताकि बैंक कमज़ोर प्रवर्तकों को हटा सकें और कर्ज को इक्विटी में बदल सकें। हम नहीं चाहते कि बैंक परियोजनाओं को अनिश्चित काल कर लिए पने हाथों में लिए रहें, इसलिए हमने एक समय-सीमा निर्धारित की है कि वे उस समय में नया प्रवर्तक ढूंढ लें।

ये सब नये अस्त्र (कुछ ऐसे उपाय भी जिन्हें गिनाने का समय नहीं है) प्रभावी रूप से एक संकल्प व्यवस्था का सृजन करते हैं जो बैंक के बाहर बैंकरप्सी में परलक्षित हुआ है। बैंकों के पास अब दबाव को हल करने की शक्ति है, इसलिए हम उनपर ज़ोर डालेंगे कि वे इन्हें मान्यता देते हुए उन शक्तियों का उपयोग करें। इसी का नाम आस्ति गुणवत्ता समीक्षा है, जो अक्तूबर 2015 में पूरी हो चुकी है, जिसे बाद में बैंकों के साथ साझा किया गया है, अपेक्षा की गई कि उसका पालन किया जाए। उसके बाद से बैंकों ने मौजूदा दबावग्रस्त ऋण को उपयुक्त रूप से वर्गीकृत किया है, और मार्च, 2016 से अपने कमज़ोर किंतु जो अभी दबावग्रस्त नहीं हुए हैं, पोर्टफोलियो पर आवश्यक कार्रवाई के लिए नज़र रखना शुरू कर दिया है। बैंकिंग संस्कृति में एक परिवर्तन आ रहा है और बैंक आस्ति गुणवत्ता समीक्षा की भावना को समझकर उसे स्वीकार करने

लगे हैं। कई बैंक तो उससे आगे निकल गए हैं और मार्च 2015 तिमाही तक उसे स्वच्छ बना लिया है। निश्चित रूप से जब बैंक अनर्जक आस्तियों को ठीक तरह से वर्गीकृत कर लेंगे और उसके लिए प्रावधान कर लेंगे, तब उन्हें सदाबहार बने रहने का प्रोत्साहन समाप्त हो जाएगा अथवा कर्ज को उपयुक्त स्तर पर बट्टे खाते डाल देने से वे बाज़ आएंगे।

जो भी हो, स्वच्छता एक सतत प्रक्रिया है। एसडीआर योजना को कमज़ोर प्रवर्तकों के लिए रखा गया है। लेकिन कुछ प्रवर्तक सक्षम हैं भले ही उनकी परियोजनाओं पर कर्ज का भारी बोझ क्यों न हो। जो खते बहुत अधिक दबावग्रस्त हैं उनके लिए 'दबावग्रस्त आस्तियों की संवहनीय संरचना योजना' (एस4ए) एक वैकल्पिक संरचना है। एस4ए में दबावग्रस्त उधारकर्ता के संवहनीय स्तर का निर्धारण करना पड़ता है, तथा बकाया कर्ज को संवहनीय कर्ज तथा इक्विटी/अर्ध-इक्विटी में बांटना होता है जिससे यह उम्मीद की जाती है कि उधारकर्ता की बहाली ने पर भी उधारदाता का पक्ष ऊपर बना रहेगा। अतः, क्षमतावान किंतु अत्यधिक कर्जदार प्रवर्तक को भी निष्पादन कर दिखाने का थोड़ा सा प्रोत्साहन जरूर है, और चूंकि परियोजना अभी एनपीए नहीं मानी गई है क्योंकि पर्याप्त प्रावधान किया गया है, इसलिए सरकारी क्षेत्र के बैंक यदि आवश्यक है तो उधार देना जारी रख सकते हैं।

हाल में सरकार ने यह तय किया है कि एक निधि बनाई जाए ताकि दबाव की स्थिति में उसमें से उधार दिया जा सके। इस निधि में तीसरे पक्ष की महत्वपूर्ण सहभागिता होगी, ताकि नए ऋण संभाव्य दबावग्रस्त परियोजनाओं को ही दिए जाएं। बशर्तेकि इसमें लिए गए निर्णय में उन बैंकों का हाथ न हो जिनके स्वयं के ऋण दबावग्रस्त हैं, यह इस समस्या के तीव्र समाधान का एक कारगर तरीका हो सकता है।

इतनी सारी योजनाएं क्यों और इतनी मरम्मत क्यों

उधारकर्ता के दबाव के स्रोत अनेक हैं, और हमने उधारदाता उपलब्ध कराए हैं कि वे वैकल्पिक मेनू के साथ उसका समाधान करें भले ही उन्हें समस्या के आगे कागज पर अपने विवेक को सीमित क्यों न करना पड़े। भारतीय रिज़र्व बैंक प्रभावी रूप से अशोध्य ऋणों के लिए बैंकरप्सी प्रणाली की अनुपस्थिति में पूरी तरह से नई प्रक्रिया बनाना चाहता है। हमें मरम्मत करनी होगी, यह स्वाभाविक है कि हरेक योजना के असरदार होने के लिए उसे बनाते समय प्रणाली में बिखरे हुए प्रोत्साहन को ध्यान में रखते हुए उसपर निगरानी रखनी पड़ेगी। हमने जैसा सीखा है उसी के अनुसार रेगुलेशन बनाए हैं। हमारा उद्देश्य मात्र सैद्धांतिक नहीं है बल्कि व्यवहारपरक है, भले ही प्रणाली में अधिक अनुशासन एवं पारदर्शिता क्यों न लाना पड़े।

शुभ समाचार यह है कि बैंक स्वच्छ बनाने की भावना को समझने लगे हैं और जिद्दी प्रवर्तकों को इस बात के लिए राजी कर रहे हैं कि वे परियोजनाओं को दुबारा शुरू करने के लिए आवश्यक उपाय करें। कर्जदार प्रवर्तक, उधारदाताओं को चुकौती के लिए अपनी आस्तियों को बेचने पर मजबूर किए जा रहे हैं। हम शीघ्र ही आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों(एआरसी) को नये लाइसेंस देने जा रहे हैं ताकि दबावग्रस्त आस्तियों के लिए गहन बाज़ार उपलब्ध हो सके। हम एक ऐसी संरचना तैयार करने के बारे में भी कार्य कर रहे हैं जिसमें बैंकों द्वारा एआरसी को आस्तियों की बिक्री के लिए क्षमता वृद्धि तथा मूल्य-निर्धारण में पारदर्शिता होगी। बैंक के निवेशक, इतने बड़े पैमाने पर प्रकटीकरण से प्रारंभ में परेशानी महसूस करने के बाद सरकारी क्षेत्र के बैंकों के शेयरों में बोली लगाने लगे हैं। उस सीमा तक कि यदि अभी भी यह व्यापार बही मूल्य का छोटा सा हिस्सा है तो बैंकों के लिए यह गुंजाइश मौजूद है कि वे मूल्यांकन को और ऊपर ले जा सकते हैं बशर्तेकि वसूली की संभावना में और अधिक सुधार लाया जाए। नई योजना, साथ ही बेहतर होती अर्थव्यवस्था इसमें मददगार साबित होगी।

धोखाधड़ी और इरादतन चूककर्ता

भले ही हम प्रतिबद्ध प्रवर्तकों के लिए पुनर्रचना का कार्य ऐसी स्थितियों में आसान बना रहे हों कि वे बुरे समय से गुज़र रहे हैं या अप्रत्याशित घटनाएं हो रही हैं, लेकिन धोखाधड़ी करने वालों की या इरादतन चूककर्ताओं की क्षमता को कम करना होगा जो चुकौती करने की स्थिति में होते हैं किंतु चुकौती करते नहीं हैं, या धोखेबाज़ भाग लेते हैं। इसलिए बैंकों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वे इस उदार योजना का प्रयोग उन प्रवर्तकों(इन्हें सभी जानते हैं) के लिए न करें जो आदतन इस प्रणाली का दुरुपयोग करते हैं या फिर धोखेबाज़ों के लिए न करें। पहले वाले मामले में इरादतन चूक करने वाले प्रवर्तकों को उन्हें इरादतन चूककर्ता का नाम देने की धमकी दी जा सकती है जो कारगर हो सकती है, और हमने सेबी के साथ मिलकर इरादतन चूककर्ता पर जुर्माने को बढ़ा दिया है। धोखेबाज़ों के मामले में जांच एजेंसियों द्वारा तुरंत एवं तेजी से जांच की जानी अत्यधिक आवश्यक है। हमें यह संदेश पहुंचा देना चाहिए कि कोई भी भाग कर नहीं निकल सकता और मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा बड़े धोखाधड़ी के मामले पर क़ानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने धोखाधड़ी निगरानी कक्ष की स्थापना की है जो जांच एजेंसियों को धोखाधड़ी के मामले की शुरू में ही रिपोर्टिंग कर रहा है। और उन लोगों के लिए जिन्होंने धन को अपनी कंपनियों से बाहर लगा दिया है, खासतौर से विदेश में ऐसी आस्तियों में लगाया है जो

काफी हद तक दिखाई देती हैं, बैंकरों को जांच एजेंसी के साथ बात करके कठोर संदेश भेजना चाहिए कि यदि पैसे की चुकौती नहीं की गई तो उसके नतीजे भीषण हो सकते हैं।

बैंक द्वारा जोखिम न उठाना

बैंकर्स प्रायः यह दलील देते हैं कि धोखाधड़ी का इलज़ाम बैंकरों पर ही लगा देना आसान होता है, और जो बजाय दोषी ठहराए जाने के इसके शिकार होते हैं। इसी प्रकार, उनका सतर्कता प्राधिकारियों पर आरोप है कि वे ज़रूरत से ज्यादा ही सतर्कता दिखाते हैं जब ऋण अशोध्य हो जाता है, और तुरंत बैंकरों पर अपराध करने का शक करने लगते हैं, जबकि ऋण का अशोध्य होना गैर-इरादी तौर पर समझदारीपूर्वक जोखिम लेने के कारण हो सकता है। दुर्भाग्य से, इन सबमें प्रायः ऐसी जांचों में ढीली सावधानी बरतने या बैंकरों द्वारा ऋण की निगरानी न करने को भी उदघाटित नहीं किया जाता है। बात वहीं रह जाती है कि यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि ऐसा समझदारी से जोखिम उठाने की लापरवाही से या भ्रष्टाचार से हुआ है। वहीं सतर्कता प्राधिकारी लगातार बैंकरों को यह आश्वस्त करने की कोशिश करते हैं कि वे सतर्कता समिति के सदस्य नहीं है, बैंकरों को स्वयं ज्ञात है कि उनके स्वयं के अति उत्साह और उनकी कमियां अनपेक्षित तरीके से भ्रष्टाचार का आरोप लग सकता है।

निश्चित ही इस समस्या का थोड़ा समाधान यह है कि बैंकर अफने स्तर पर ठान लें। दूसरा समाधान यह है कि किसी एक ऋण के परिणामों के आधार पर बैंकर पर आरोप न लगाया जाए बल्कि समस्त ऋणों के पैटर्न को देखा जाए। एक बैंकर जिससे अपने साथी की तुलना में बहुत अधिक ऋण अशोध्य हो रहे हैं, से कम से कम सवाल पूछे जा सकते हैं। लेकिन जिसने बहुत से अच्छे ऋण दिए हैं और कभी-कभार ही कोई ऋण अशोध्य हुआ हो तो उसे संभवतः इनाम दिया जाना चाहिए। बैंक प्राधिकारियों द्वारा इस प्रकार के पैटर्न पर आधारित निगरानी अपनाने से सतर्कता संबंधी कार्रवाईकरते हुए केवल उन्हीं मामलों में गंभीर सज़ा दी जाए जिनमें इस बात के सुबूत हों कि धन एक हाथ से दूसरे हाथ में दिया गया है, इससे अपराध पर नियंत्रण रखा जा सकेगा तथा जोखिम उठाने को पारितोषिक प्रदान किया जा सकेगा। इसके लिए वर्तमान प्रणाली में कतिपय परिवर्तनों की ज़रूरत है, साथ ही बैंकों में समिति द्वारा ऋणों का अनुमोदन देने की प्रक्रिया को महत्व देना बंद कर दिया जाए जो ऋण संबंधी निर्णय लेने के दायित्व को समाप्त कर देती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक की क्या जिम्मेदारी है?

बैंकर्स कभी-कभी पलटकर रेगुलेटर पर अशोध्य ऋण की समस्या उत्पन्न करने का आरोप लगाते हैं। सच्चाई यह है कि बैंकर्स, प्रवर्तक तथा परिस्थितियां मिलकर अशोध्य ऋण की समस्या पैदा करते हैं। रेगुलेटर, बैंकर के कमर्शियल निर्णय के स्थान पर कोई अन्य निर्णय नहीं दे सकता है, या सूक्ष्म नियंत्रण नहीं रख सकता है अथवा जब ऋण दिए जा रहे हों तब उनकी जांच नहीं कर सकता है। बल्कि अनेक स्थितियों में रेगुलेटर ज्यादा से ज्यादा ऋण देते समय खराब ऋण प्रथाओं को न अपनाने की चेतावनी दे सकता है और बैंक से कह सकता है कि उसके लिए पर्याप्त बफर की व्यवस्था रखें। रेगुलेटर की महत्वपूर्ण ड्यूटी यह है कि वह समय पर एनपीए पहचानने के लिए ज़ोर दे तथा जब भी वैसा हो तो उसका प्रकटीकरण किया जाए। ढिलाई बरतना जोखिमपूर्ण रेगुलेटरी रणनीति हो सकती है क्योंकि जब यह उम्मीद हो कि वृद्धि दर शीघ्र ही गति पकड़ेगी और प्रणाली में स्वतः बहाली आ जाएगी। हर कोई - बैंकर, प्रवर्तक, निवेशक और सरकारी अधिकारी - प्रायः इस प्रकार की रणनीति का आग्रह करते हैं ताकि समस्या को दूसरी ओर ढकेला जा सके और उसका निपटान कोई अन्य व्यक्ति करे। इसका खराब पक्ष यह है कि जब वृद्धि गति नहीं पकड़ती है तब अशोध्य ऋण की समस्या बड़ी बन जाती है, और तब उसके निपटान की स्थिति अधिक कठिन हो जाती है। उस स्थिति में जब अशोध्य ऋण की समस्या को ढिलाई से या उसका निर्धारण न करके संचित होने दिया जाता है, तब रेगुलेटर्स के लिए प्रणाली को पटरी पर लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। यही वे समस्याएं हैं जिन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा देखा जाता है।

जैसाकि मैंने आपको दिखाया है, विगत में इकट्ठा हो गए दबावग्रस्त ऋण के 2014 के प्रारंभ में जो परिणाम हुए हैं वे सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कुछेक क्षेत्रों में उधार देने की प्रक्रिया को धीमा करने के कारण हुए थे। भारिबैंक की नम्रता तथा आस्ति गुणवत्ता समीक्षा 2015 के मध्य में समाप्त हो चुके हैं इसलिए ये मंदी के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। बल्कि, कतिपय क्षेत्रों में अत्यधिक दबावग्रस्त एक्सपोजर के बारे में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के प्रबंधन का ध्यान पहले से है और उन्होंने उसे रोक रखा है। उनके लिए यही एक तरीका है कि अर्थव्यवस्था की ऋण आवश्यकता को धन उपलब्ध कराने के लिए जो अधिक आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है, स्वयं को स्वच्छ बनाएं तथा स्वयं को पुनः पूंजी से लैस करें।

ऋण की धीमी रफतार के बारे में जो नाज़ुक संदेश है वह यह है कि बैंक गैर-निष्पक्ष तरीके से उधार नहीं दे रहे हैं क्योंकि वे इस प्रयास में हैं कि उन्हें विस्तारित समग्र तुलनपत्र में दबावग्रस्त आस्तियों के आकार को कम करना है, और यह इस बात की की

पेशनगोई है कि भविष्य में और ज्यादा गिरावट होने वाली है। संक्षेप में कहें तो सबसे पहला जो प्रश् नपैदा होता है वह यह है कि स्वच्छ बनाएं या वृद्धि करें, मेरे विचार से स्पष्ट उत्तर है कि स्वच्छ बनाएं। वस्तुतः यही सबक हम अन्य देशों से भी सीकते हैं जिन्होंने वित्तीय दबाव की स्थिति झेली है। अतः यह आवश्यक है कि स्वच्छता की प्रक्रिया अब समाप्त हो जानी चाहिए, जिसके लिए फिर किसी प्रकार की रेगुलेटरी रियायत की ज़रूरत नहीं है।

कभी-कभी अशोध्य ऋण की समस्या को कम करने के लिए आसान मौद्रिक नीति का प्रस्ताव किया जाता है। हालांकि बहुत अधिक कर्जदार प्रवर्तक के लिए आसान मौद्रिक नीति से कोई खास राहत नहीं मिल सकती है। यहां तक कि कम नीतिगत दर पर, जिस बैंक ने अभी तक पूरा ऋण नहीं दिया है, और उधारकर्ता का समग्र नकदी प्रवाह हथिया लेता है तब भी उसे उधारकर्ता द्वारा अदा करने केलिए ब्याज दर कम करने में कोई प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। और कुछ बैंक उधारकर्ता के उसी कारोबार केलिए स्पर्धा करते हैं, इसलिए ऋण की दरों को कम करने केलिए कोई स्पर्धा नहीं होती है। मुद्दे की बात यह है कि आसान मौद्रिक नीति गंभीर दबाव का हल नहीं है, बल्कि यह इसके बारे में फैली हुई धारणा के विपरीत है।

सरकार क्या कर सकती है?

सरकार कर्ज वसूली प्रक्रिया को तेज बनाने का प्रयास कर रही है, और एक नया बैंकरप्सी सिस्टम बना रही है। उक्त समस्याओं के समाधन के लिए यह महत्वपूर्ण कदम हैं। लेकिन, निकट भविष्य में दो कार्रवाइयां बड़े फायदे की होंगी।

पहली कार्रवाई यह कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों का गवर्नेंस बेहतर बनाया जाए ताकि हमें इस प्रकार की स्थिति का समाना दुबारा न करना पड़े। सरकार ने इंद्रधनुष पहल के माध्यम से यह संदेश दे दिया है कि वह यह सुनिश्चित करना चाहती है कि सरकारी क्षेत्र के बैंक, एक बार स्वस्थ बना दिए गए तो उन्हें हमेशा स्वस्थ बने रहना है। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पदों को अलग-अलग करना, बैंक बोर्ड ब्यूरो के माध्यम से बोर्ड और प्रबंधन को सुदृढ़ बनाना, प्रोफेशनल बोर्ड को और अधिक निर्णय का विकेंद्रीकरण, प्रोत्साहन प्रबंधन के तरीके पता करना इन सबसे ऋण के मूल्यांकन, निगरानी तथा चुकौती प्रक्रिया में सुधार आएगा।

दूसरी कार्रवाई है कि बैंक में पूंजी डाली जाए, जिनमें से कुछ पूंजी तो इस उद्देश्य से डाली जाए कि उसका निष्पादन बेहतर हो, ताकि अच्छे बैंकों को विकास करने का बेहतर अवसर प्राप्त हो सके। कमज़ोर बैंकों में पूंजी डालने से उनके गवर्नेंस में सुधार तो आएगा, किंतु बेहतर होगा कि सरकार उनके तुलनपत्र की स्वच्छता से जुड़ी हानियों को पूरा करने केलिए शीघ्र से शीघ्र पूंजी डाल दे। सरकारें कई बार बैंक में नई पूंजी डालने के प्रति झिझकती हैं क्योंकि निधि के लिए अन्य कई बड़ी ज़रूरतें होती हैं जिनके लिए मांग का दबाव होता है। फिर भी, बैंकों को पूंजी देने के बजाय कुछ उच्च प्रतिफल देने वाली गतिविधियां भी होती हैं जो ऋण वृद्धि को सपोर्ट कर सकती हैं। अंतिम बात यह है कि आर्थिक सर्वेक्षण से ज्ञात होता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक को चाहिए कि वह सरकारी क्षेत्र के बैंकों को पूंजी उपलब्ध कराए। यह एक अपारदर्शी कार्यवाही हो जाएगी और रेगुलेटर पुनः बैंक के स्वामित्व के कारोबार में उतर जाएगा, जिसमें हितों का संघर्ष मौजूद रहेगा।

बेहतर यह होगा कि भारतीय रिज़र्व बैंक सरकार को अधिकतम लाभांश का भुगतान करे, केवल उतनी पर्याप्त राशि अपने पास बफर के रूप में रखे जो एक अच्छे केंद्रीय बैंक के जोखिम प्रबंधन प्रथा के लिए ज़रूरी है। वस्तुतः, हम यही कर रहे हैं, और पिछले तीन वर्षों में हमने अपने समस्त अधिशेष सरकार को अंतरित कर दिए हैं। सरकार अलग से बैंकों में पूंजी डाल सकती है। दो निर्णयों को एक में नहीं मिलाना चाहिए। यदि सरकार नकदी से सीधे-सीधे बैंक इक्विटी नहीं खरीद सकती है तो वैकल्पिक रूप से थोड़ा कम कारगर स्वरूप की पूंजी हेतु वह इक्विटी के बदले में बैंकों को 'सरकारी पूंजीकरण बांड' जारी कर सकती है। बैंक इस बांड को अपने तुलनपत्र में धारित कर लेंगे। यह उनके तुलनपत्र के हिस्से के रूप में जुड़ जाएगा और निश्चित रूप से उनकी पूंजी होगी।

समापन

विकास की कार्यसूची में बैंक के तुलनपत्र को स्वच्छ बनाना, तथा ऋण वृद्धि को बहाल करना एवं संबंधित तत्व महत्वपूर्ण हैं। सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक इस नाज़ुक कठिन कार्य में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की मदद कर रहे हैं। मुझे ज्ञात है कि इस प्रक्रिया ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया है, इसलिए सरकारी क्षेत्र के बैंक दुबारा अर्थव्यवस्था की विशाल आवश्यकताओं को वित्त प्रदान करने के लिए शीघ्र ही तैयार हो जाएंगे।